



134
15/6/2021

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

CBSE
file
16/06/2021



(संबद्धता शाखा)

न/के.मा.शि.बो./संबद्धता/राजकीय/700007/2021/0299

दिनांक: 04/06/2021

प्रधानाचार्या,

केन्द्रीय विद्यालय साम्बा

जम्मू कश्मीर

पिन - 184121.

विषय:

संबद्धता विस्तार के संबंध में।

संदर्भ:

फ.स.240-347/केवी-साम्बा/2020-21/333

दिनांक : 05.02.2021

महोदय/महोदया,

- उपरोक्त विषयांतर्गत, निम्नलिखित विवरणानुसार, संबद्धता विस्तार शुल्क की अभीस्वीकृति दी जाती है :

धनराशि एवं रसीद का
विवरण:

धनराशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक
रु. 2000+23000 =25000/-	52823	26.02.2021

सत्र एवं राशि का विस्तृत
विवरण:

सत्र	कुल संबद्धता विस्तार शुल्क
01/04/2021 से 31/03/2026	रु. 25000/-

- संबद्धता परिपत्र संख्या 01/2018 के अनुसार, 01.04.2019 से बोर्ड द्वारा वार्षिक शुल्क रु. 3000/- रुपये से बढ़ाकर रु. 5000/- प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
- संबद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में कोई अन्य/पृथक पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- इसके अलावा, भविष्य में, विद्यालय केवल ऑनलाईन मोड में ही बोर्ड की वेबसाइट www.cbseaff.nic.in पर संबद्धता विस्तार हेतु आवेदन करेंगे। अतः ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

सहायक सचिव (राजकीय)